

फर्द अहकाम


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)

मुकदमा संख्या :- /20

का अवलोकन वकील वादी को करवाया गया तो वकील वादी कुर्रजात रिपोर्ट का अवलोकन कर कथन किया कि कुर्रजात रिपोर्ट किसी भी प्रकार की आपत्ति पेश नहीं की गई है। उक्त कुर्रजात रिपोर्ट अनुसार दावा वादी डिक्री किये जाने की सहमति जाहिर करते हुये मुताबिक कुर्रजात डिक्री किया जाना जाहिर किया।

वकील वादी की बहस पर गौर किया व कुर्रजात रिपोर्ट पर पत्रावली का परीक्षण किया गया तो कुर्रजात रिपोर्ट प्राथमिक डिफेंड के अनुरूप बनाये गये हैं। वादी वकील द्वारा कुर्रजात रिपोर्ट का किसी प्रकार से आपत्ति नहीं किये जाने से एवं कुर्रजात राजस्व मंडल के नियमानुसार बनाये जाने से दावा वादी मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट अनुसार अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

अतः वादी का वाद स्वीकार कर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव के अनुसार खाता व लगान पृथक पृथक किया जावें। नया विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री के पार्ट रहेगे। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।


उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)